

# न्यायालय अपर जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम:- उम्मेदी लाल मीना, आर.ए.एस.

अपील संख्या 12 वर्ष 2026

मनोज कुमार पुत्र श्री महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 12, मेहरवाला तहसील  
टिब्बी जिला हनुमानगढ़ राजस्थान

-अपीलान्त

बनाम

1. बलवीर पुत्र पुराराम जाति जाट निवासी चक 3 एम.एस.टी.एस.एम. (प.ह. डबली खुर्द) ग्राम  
पंचायत मसीतावाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ राजस्थान
2. निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी जिला हनुमानगढ़ राजस्थान  
-रैस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 14.02.2026 निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण  
अधिकारी पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र टिब्बी जिसके द्वारा  
अपीलान्त द्वारा नियम 13 (3) राज पंचायती राज निर्वाचन नियम  
1994 के तहत किया गया आक्षेप नियम 14 के तहत खारिज किया  
गया अपील बाबत आक्षेप स्वीकार किये जावे।

उपरिथत :-

1. श्री देवदत्त भिडासरा , अभिभाषक अपीलान्त
2. श्री राजकीय अधिवक्ता रैस्पो0 सं0 2
3. श्री राजेश दीप राय रैस्पोडन्ट संख्या 1

निर्णय

दिनांक 17.03.2026

प्रस्तुत अपील में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्त ग्राम पंचायत मेहरवाला  
के वार्ड नम्बर 12 का स्थायी निवासी है अपीलान्त का नाम ग्राम पंचायत के वार्ड नम्बर 12 में  
मतदाता सूची .स. 319 पर दर्ज है। अपीलान्त ने रैस्पोडेन्ट संख्या 01 बलवीर पुत्र पुराराम का  
मतदाता सूची ग्राम पंचायत मेहरवाला के वार्ड नम्बर 12 की मतदाता सूची क.स. 222 पर प्रारूप  
संख्या 2 में ग्राम पंचायत मेहरवाला की निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किये जाने पर  
पदाभिहित अधिकारी (प्रगणक) के समक्ष नाम विलोपित किये जाने हेतु आक्षेप आवेदन पत्र प्रस्तुत  
किया। अपीलान्त द्वारा दिये गये आक्षेप पर ग्राम पंचायत मेहरवाला के भाग संख्या 32 के प्रगणक से  
रिपोर्ट ली गयी रिपोर्ट में रैस्पोडेन्ट संख्या 01 बलवीर को स्थायी रूप से ग्राम पंचायत मेहरवाला के  
वार्ड नम्बर 12 में स्थायी रूप से रहती व आक्षेप पर प्रगणक की जांच के पश्चात सहायक निर्वाचक  
रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र टिब्बी (उपतहसीलदार) तलवाड़ा झील की  
जांच रिपोर्ट करवायी व दिनांक 13.02. 2026 को प्रस्तुत रिपोर्ट में रैस्पोडेन्ट संख्या 01 बलवीर व  
उसके परिवार के सदस्यों के वोट वार्ड संख्या 08 ग्राम पंचायत मेहरवाला में होने बताये उक्त जांच  
रिपोर्ट के पश्चात निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र टिब्बी ने निर्णय  
दिनांक 14.02.2026 के द्वारा अपीलान्त का आक्षेप प्रारूप संख्या-02 खारिज कर दिया। निर्वाचक  
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र टिब्बी द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.02.2026  
पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों की बिना कोई जांच किये मनमाने रूप से पारित किया गया होने के  
कारण काविल खारिजी के है। अपीलान्त ने अपने आक्षेप पत्र में यह स्पष्ट कथन किया था कि  
रैस्पोडेन्ट संख्या 01 बलवीर चक 3 एम.एस.टी.एस.एम. गांव डबलीखुर्द के ग्राम पंचायत मसीतावाली में  
स्थायी रूप से निवास करता है इस संबंध में अपीलान्त को सुनवाई के समय प्रशासक ग्राम पंचायत  
मसीतावाली द्वारा जारी निवास पत्र प्रस्तुत किया जिसमें रैस्पोडेन्ट संख्या 01 बलवीर व उसके परिवार  
के कुल 22 सदस्य अपनी कृषि भूमि चक 3 एम.एस.टी.एस.एम. में गत 20 वर्षों से ढाणी बनाकर  
निवास कर रहे है, परन्तु रैस्पोडेन्ट संख्या 02 ने दिनांक 14.02.2026 को अपीलान्त निर्णय पारित  
करते समय उक्त दस्तावेजों की कोई विवेचना नहीं की इसलिए आदेश दिनांक 14.02.2026 खारिज  
किये जाने योग्य है। अपीलान्त द्वारा रैस्पोडेन्ट संख्या 01 बलवीर का मतदाता सूची ग्राम पंचायत  
मेहरवाला की निर्वाचन नामावली दिनांक 06.02.2026 को पदाभिहित अधिकारी (प्रगणक) के समक्ष  
प्रारूप 02 में मत विलोपित करने हेतु आवेदन किया था उक्त आक्षेप पत्र की जांच रिपोर्ट में यह  
स्पष्ट अंकन है कि वार्ड नम्बर 12 में जो मकान है वह क्षतिग्रस्त है पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण  
अधिकारी पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र टिब्बी द्वारा उक्त रिपोर्ट को बिना देखे मनमाने रूप से  
अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलान्त ने ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज कुल 22  
मतदाताओं के नाम ग्राम पंचायत मेहरवाला से हटाने बाबत आपत्ति की थी उक्त आक्षेप पर



पदाभिहित अधिकारी (प्रगणक) ने दिनांक 06.02.2026 को ही रिपोर्ट की थी कि वोटर अपने पुस्तैनी मकान में उपस्थित मिला इनका मकान क्षतिग्रस्त होने के कारण अस्थायी रूप से चक 3 एम.एस.टी. एस.एम (डबलीखुर्द) में रहते हैं। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आक्षेप की जांच सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र टिब्बी में जांच करवायी गयी जिसमें रिपोर्ट दिनांक 13.02.2026 में चक 3 एम.एस. टी.एस.एम. में तीन-चार ढाणी बनी होना व निवास ग्राम पंचायत मेहरवाला के वार्ड नम्बर 08 में होना बताया है प्रगणक व सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की रिपोर्ट में विरोधाभास है परन्तु निर्णय दिनांक 14.02.2026 में उक्त तथ्यों की कोई जांच नहीं की गयी। अपीलान्ट ने एक ही परिवार के कुल 22 सदस्यों के वोटों पर आपत्ति प्रस्तुत की उक्त सभी मतदाता चक 3 एम.एस.टी.एस.एम. में ढाणी में रह रहे हैं। इस हेतु प्रशासक ग्राम पंचायत मसीतावाली ने उनके वोट ग्राम पंचायत मसीतावाली में बनवाने हेतु निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भी पत्र लिखा था जांच रिपोर्ट में सभी मतदाता एक ही मकान ग्राम मेहरवाला में रहना बताया परन्तु उक्त रिपोर्ट में मकान क्षतिग्रस्त होना बताया है व केवल मात्र एक ही मकान होना बताया है एक क्षतिग्रस्त मकान में इतने व्यक्ति एक साथ में रह सकते हैं इस तथ्य की कोई जांच किये बिना ही मौका रिपोर्ट गलत प्रस्तुत की है मौका जांच से पूर्व अपीलान्ट को कोई सुचना नहीं दी गयी। लिहाजा अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र टिब्बी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.02.2026 अपास्त किया जाकर अपीलान्ट का आक्षेप स्वीकार कर मतदाता बलवीर पुत्र पुराराम का वोट ग्राम पंचायत मेहरवाला की मतदाता सुची से हटाया जावे।

चुनाव अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोजेन्ट की तलबी की गयी। रेस्पोजेन्ट संख्या 01 की ओर से श्री राजेश दीप राय अभिभाषक ने उपस्थिति दी। रेस्पोजेन्ट सं० 02 की ओर से राधिका अभिभाषक उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन रिकार्ड तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।



बहस सुनी गयी। अपीलार्थी के अभिभाषक ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र टिब्बी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.02.2026 अपास्त किया जाकर अपीलान्ट का आक्षेप स्वीकार कर मतदाता बलवीर पुत्र पुराराम का वोट ग्राम पंचायत मेहरवाला की मतदाता सुची से हटाया जावे।

अभिभाषक रेस्पोजेन्टस संख्या 01 ने अपनी बहस में कथन किया की बलवीर जन्म से ही गांव मेहरवाला का निवासी है। प्रार्थी का वोट गांव मेहरवाला का ही शुरू से ही बना हुआ है। प्रार्थी के समस्त पहचान संबंधी दस्तावेज यथा राशनकार्ड, मूल निवास, आधार कार्ड आदि में दर्ज पता ग्राम पंचायत मेहरवाला है। प्रार्थी के डाक इसी पते पर प्राप्त हो रहे हैं। अपीलान्ट द्वारा केवल मिन प्रत्यर्थीगण को तंग व परेशान करने के आशय से अपील प्रस्तुत कि है। अतः निवेदन किया की अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

अभिभाषक रेस्पोजेन्ट संख्या 02 ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के कथन को दोहराते हुए कथन किया की बिन्दू सं० 2(क) अस्वीकार है कि कार्यालय हाजा द्वारा पारित निर्णय साक्ष्य/सबूतों, जांच रिपोर्ट के आधार पर ही किया गया है। अपीलांट द्वारा प्रगणक के समक्ष प्रस्तुत किये गये आक्षेप प्ररूप 02 जो कि प्रगणक से रिपोर्ट/टिप्पणी सहित ईआरओ (पंचायत) एसडीएम टिब्बी कार्यालय में प्राप्त हुआ। प्रगणक से उक्त टिप्पणी सहित आवेदन प्राप्त होने के उपरांत प्ररूप में अंकित आक्षेपकर्ता श्री मनोज कुमार व आक्षेपित मतदाता बलवीर को क्रमशः प्ररूप 13 व प्ररूप 14(1) में नोटिस जारी किया गया जिसमें सुनवाई की तारीख 12.02.2026 निर्धारित थी। उक्तानुसार सुनवाई दिवस पर आक्षेपकर्ता व आक्षेपित मतदाता दोनो उपस्थित आए व अपने-अपने साक्ष्य प्रस्तुत किये। तदुपरांत आक्षेपित मतदाता के घर का भौतिक सत्यापन करने/जांच हेतु कमेटी गठित की गई। अतः कमेटी जांच रिपोर्ट उपलब्ध दस्तावेजों साक्ष्य / सबूतों के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया गया। इसलिए अपीलांट का यह कथन सही नहीं है कि बिना जांच किये मनमाने रूप से निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील का बिन्दू सं० 02 (ख) अस्वीकार है आक्षेपकर्ता द्वारा आक्षेपित मतदाता बलवीर का मत विलोपित करवाने बाबत प्ररूप 02 प्रगणक से प्राप्त होने के उपरांत दोनो पक्षों यथा आक्षेपकर्ता मनोज कुमार व आक्षेपित मतदाता बलवीर को क्रमशः प्ररूप 13 में प्ररूप 14(1) में नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया जिसमें आक्षेपकर्ता व अक्षेपित मतदाता दोनो उपस्थित आए व अपने-अपने साक्ष्य प्रस्तुत किये। दोनो पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत आक्षेपित मतदाता के निवास स्थान / घर का भौतिक सत्यापन हेतु कमेटी से जांच करवाई गई। अतः यह अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील बिन्दू सं० 02(ख) में अंकित यह कथन कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवेचन किये बिना निर्णय पारित किया गया है, जो कि सही नहीं है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के बिन्दू सं० 2(ग) प्ररूप 2

